संख्या–यू0प्रो023 / 8–1–06

प्रेषक,

के.एल. मीना
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

2– **उपाध्यक्ष**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2006**

विषय :सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों की स्थापना हेतु आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित होने वाली आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 500 वर्ग मीटर भूमि बेसिक शिक्षा परिषद् को निःशुल्क आबंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि भारतीय संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा प्रत्येक बच्चा जो 6–14 आयु वर्ग का है, को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, किन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि नगर क्षेत्र की पुरानी आबादी में स्थापित अधिकतर बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हो रहे है एवं भवन मालिकों द्वारा विद्यालय भवनों की मरम्मत का कार्य सम्पादित नहीं कराया जा रहा है। ऐसे भवनों में अध्ययनरत् बच्चों एवं अध्यापकों को निरन्तर जीवन का खतरा बना रहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि समय के साथ–साथ नगरीय क्षेत्रों का विस्तार होता जा रहा है, जहां मध्यम / निम्न आय वर्ग के आवासों में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क / सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित विद्यालय अत्यन्त ही उपयोगी होगें। पुनश्च नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के फलस्वरूप विस्तारित क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिक वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु भी यह विद्यालय उपयोगाी होगें, किन्तु शहरी क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण नवीन विद्यालयों की स्थापना सम्भव नहीं हो पा रही है।

2— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि नगरीय क्षेत्रों में नियेजित विस्तार/विकास का कार्य वर्तमान में आवस विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है, अतएव प्रत्येक एल0आई0जी0/एम0आई0जी0 कालोनी में एक प्राथमिक विद्यालय हेतु 500 वर्ग मीटर भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् को निःशुल्क आबंटित किया जाए ताकि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना व उनके भवन निर्माण का कार्य कराया जा सके।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के.एल.मीना)
सचिव।

<u>संख्या—यू0प्रो023(1)/8—1—2006 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, लखनऊ।

2— शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तर प्रदेश, निशातगंज, लखनऊ/इलाहाबाद।

3— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5— सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद।

6— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।

7— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
अनुसचिव।